सचिव
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक बे0शि0प0/ 11758-12098 /96-97 दिनांक 6-8-96

विषय:- ग्रीष्मावकाश के समय में दिनांक 21 मई 1996 से 30 मई 96 तक विद्यालयों को खोलने के उपलक्ष्य में उपार्जित अवकाश/अवकाश नकदीकरण देने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक दिनांक 16-6-96 के अतिरिक्त मद संख्या-3 में ग्रीष्मावकाश के समय में दिनांक 21 मई 1996 से 30 मई 96 तक विद्यालयों को खोलने के उपलक्ष्य में उपार्जित अवकाश/अवकाश नकदीकरण दिये जाने के संबंध में सम्यक् रूप से विचार किया गया। परिषद ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि ग्रीष्मावकाश की अवधि में दिनांक 21 मई 1996 से दिनांक 30 मई 96 तक जो अध्यापक विद्यालय में उपस्थित हैं उन्हें 10 दिन का उपार्जित अवकाश दिया जाय। इसी प्रकार अवकाश अवधि में यदि कोई प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो उक्त अवधि का भी उपार्जित अवकाश दे दिया जाए। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में उपार्जित अवकाश का विवरण अंकित किया जाय। आवश्यकतानुसार शिक्षक उपार्जित अवकाशों का उपभोग कर सकते हैं।

कृपया परिषद के उपरोक्त निर्णयानुसार ग्रीष्मावकाश के समय में दिनांक 21 मई 1996 से 30 मई 96 तक जो अध्यापक विद्यालय में उपस्थित होकर कार्य किये हैं उन्हें 10 दिन का उपार्जित अवकाश और इसी प्रकार अवकाश अवधि में यदि कोई प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो उक्त अवधि का भी उपार्जित अवकाश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में उपार्जित अवकाश का विवरण अंकित कर दिया जाय ताकि अध्यापक आवश्यकतानुसार इन अवकाशों का उपभोग कर सकें।

भवदीय

(पवनेश कुमार)
सचिव
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद

पृ0सं0बे0शि0प0/ 11758-12098 /96-97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- उक्त की प्रति निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0।
2- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3- लेखाधिकारी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4- शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र उ0प्र0।
5- अध्यक्ष उ0प्र0 प्रा0शिक्षक संघ रिसालदार पार्क, लखनऊ।
6- अध्यक्ष, उ0प्र0 जू0हा0स्कूल शिक्षक संघ, लखनऊ।

(पवनेश कुमार)
सचिव
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद

इलाहाबाद।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक बे0शि0प0/11758–12098/96–97 दिनांक 6.8.96

विषयः ग्रीष्मावकाश के समय में दिनांक 21 मई 1996 से 30 मई 96 तक विद्यालयों को खोलने के उपलक्ष्य में उपार्जित अवकाश/अवकाश नकदीकरण देने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक दिनांक 16.6.96 के अतिरिक्त पद संख्या–3 में ग्रीष्मावकाश के समय में दिनांक 21 मई 1996 से 30 मई 96 तक विद्यालयों को खोलने के उपलक्ष्य में उपार्जित अवकाश/ अवकाश नकदीकरण दिये जाने के संबंध में गम्भीरता से विचार किया गया। परिषद ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि ग्रीष्मावकाश की अवधि में दिनांक 21 मई 1996 से दिनांक 30 मई 96 तक जो अध्यापक विद्यालय में उपस्थित है उन्हें 10 दिन का उपार्जित अवकाश दिया गया। इसी प्रकार अवकाश अवधि में यदि कोई प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो उक्त अवधि का भी उपार्जित अवकाश दे दिया जाय। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में उपार्जित अवकाश का विवरण अंकित किया जाये। आवश्यकतानुसार शिक्षक उपार्जित अवकाशों का उपभोग कर सकता है।

कृपया परिषद के उपरोक्त निर्णयानुसार ग्रीष्मावकाश के समय में दिनांक 21 मई 1996 से 30 मई 96 तक जो अध्यापक विद्यालय में उपस्थित होकर कार्य किये है उन्हें 10 दिन का उपार्जित अवकाश और इसी प्रकार अवकाश अवधि में यदि कोई प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है तो उक्त अवधि का भी उपार्जित अवकाश दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में उपार्जित अवकाश का विवरण अंकित कर दिया जाय। ताकि अध्यापक आवश्यकतानुसार इन अवकाशों को उपभोग कर सकें।

भवदीय

ह0अ0

(पवनेश कुमार)

सचिव

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,

इलाहाबाद।

पृ0सं0बे0शि0प0/11758–12098/96–97 तददिनांक–

उक्त की प्रति निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3. लेखाधिकारी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका, नगर क्षेत्र, उ0प्र0।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 प्राथमिक शिक्षक संघ, रिसालदार पार्क शिक्षक भवन, लखनउ।
6. अध्यक्ष, उ0प्र0 जू0हा0स्कूल, शिक्षक संघ,फतेहपुर।

भवदीय

ह0अ0

(पवनेश कुमार)

सचिव

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,

इलाहाबाद।

कं,

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक बे0शि0प0/ 35415-811 /98-99 दिनांक 17-2-99

विषय:- परिषदीय शिक्षकों को अर्जित अवकाश/उपार्जित अवकाश अनुमन्य होने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषद मुख्यालय के परिपत्र संख्या बे0शि0प0/11758-12098 /96-97 दिनांक 6-8-96 द्वारा परिषदीय शिक्षकों को 21 मई 1996 से 30 मई 1996 तक शिक्षा सत्रावकाश में शिक्षकों द्वारा शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार कार्य करने पर 10 दिन का उपार्जित अवकाश अनुमन्य करने के निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन कर सूचित किया जाता है कि नियमों के अन्तर्गत 48 दिन सत्रावकाश/अवकाश में कार्य करने पर मात्र 30 दिन का उपार्जित अवकाश देय होता है ।

यदि ग्रीष्मावकाश उपभोग करने वाले कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश में किसी राजकीय कार्य हेतु विभागीय सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार रोका जाता है तो यह अवधि कालम-(2) व (3) में अंकित की जायेगी और कालम-4 में देय अवकाश की प्रविष्टि की जायेगी । इस अवधि के लिए अवकाश का आगणन निम्न सूत्र द्वारा किया जायेगा-

$$\text{देय अवकाश} = \frac{30 \times \text{ग्रीष्मावकाश में रोके गये दिनों की संख्या}}{48}$$

ग्रीष्मावकाश में रोके जाने के सम्बन्ध में अध्यापक/अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग -2 खण्ड-2 से 4 के अध्याय-11 के नियम 146के के अन्तर्गत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । जो उच्चाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा । यह प्रमाणपत्र सेवा पंजिका में चस्पा किया जायेगा । इस प्रमाणपत्र के अभाव में कोई अवकाश आगणित नहीं किया जायेगा ।

अत: 46 दिन का अवकाश सत्रावकाश में शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार अध्यापक की उपस्थिति सत्यापित होने पर 30 दिन का अवकाश एवं वर्ष 1986 से अद्यावधि तक प्रतिवर्ष एक दिन का उपार्जित अवकाश देय होने पर शिक्षक के अवकाश लेखे में आज की तिथि को देय अर्जित अवकाश का समयोजन कर देय अवकाश अवधि का वेतन शासनादेश संख्या 5352/15-5-98-173/98 दिनांक 30-11-98 तथा [illegible] संख्या 31755-800/98-99 दिनांक 11-12-98 के परिप्रे[illegible]

Commissioner, High[illegible]

प्रत्येक अध्यापक के अवकाश लेखे को पूर्णरूपेण परीक्षण कर दिये गये निर्देशों के अनुसार अवकाशों की गणना व अध्यापक की उपस्थिति की पुष्टि करने के बाद ही अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही नियमसंगत कही जायेगी ।

भवदीय,

डा0 § श्रीकृष्ण पाठक§
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद ।

पृ0सं0बे0शि0प0/35415-811 /98-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक§बेसिक§ उत्तर प्रदेश ।

2- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश ।

3- लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश ।

4- नगर शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश ।

5- अध्यक्ष उ0प्र0 प्राथमिक शिक्षक संघ रिसालदार पार्क शिक्षक भवन लखनऊ ।

डा0§ श्रीकृष्ण पाठक§
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद ।

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक बे0शि0प0/35415—811 /98—99 दिनांक 17.2.99

विषयः— परिषदीय शिक्षकों को अर्जित अवकाश/उपार्जित अवकाश अनुमन्य होने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परिषद मुख्यालय के परिपत्र संख्या बे0शि0प0/11758—12098/96—97 दिनांक 6.8.96 द्वारा परिषदीय शिक्षकों को 21 मई 1996 से 30 मई 1996 तक शिक्षा सत्रावकाश में शिक्षकों द्वारा शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार कार्य करने पर 10 दिन का उपर्जित अवकाश अनुमन्य करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन कर सूचित किया जाता है कि नियमों के अन्तर्गत 48 दिन सत्रावकाश/अवकाश में कार्य करने पर मात्र 30 दिन का उपार्जित अवकाश देय होता है।

यदि ग्रीष्मावकाश उपभोग करने वाले कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश में किसी राजकीय कार्य हेतु विभागीय सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार रोका जाता है तो यह अवधि कालम (2) व (3) में अंकित की जायेगी और कालम—4 में देय अवकाश की प्रविष्टि की जायेगी। इस अवधि के लिए अवकाश का आगणन निम्न सूत्र द्वारा किया जायेगा—

देय अवकाश= 30 X ग्रीष्मावकाश में रोके गये दिनों की संख्या
____

ग्रीष्मावकाश में रोके जाने के संबंध में अध्यापक/अधिकारी द्वारा वित्तीय अरत्त पुस्तिका भाग –2 खण्ड–2 से 4 के अध्याय–11 के नियम 146 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो उच्चाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। यह प्रमाणपत्र सेवा पंजिका में चस्पा किया जायेगा। इस प्रमाणपत्र के अभाव में कोई अवकाश आगणित नही किया जायेगा।

अतः 46 दिन का अवकाश सत्रावकाश में शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार अध्यापक की उपस्थिति सत्यापित होने पर 30 दिन का अवकाश एवं वर्ष 1986 से अद्यावधि तक प्रतिवर्ष एक दिन का उर्पाजित अवकाश देय होने पर शिक्षक के अवकाश लेखे में आज की तिथि को देय अर्जित अवकाश का समायोजन कर देय अवकाश अवधि का वेतन शासनादेश संख्या 5352/15–5–98–173/98 दिनांक 30.11.98 तथा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के पृष्ठांन संख्या 31755–800/98–99 दिनांक 11.12.98 के परिप्रेक्ष्य में भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।

प्रत्येक अध्यापक के अवकाश लेखे को पूर्णरूपेण परीक्षण कर दिये गये निर्देशों के अनुसार अवकाशों की गणना व अध्यापक की उपस्थिति की पुष्टि करने के बाद ही अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही नियमसंगत कही जायेगी।

भवदीय
ह0अ0
डा0 (श्रीकृष्ण पाठक)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

पृ0सं0बे0शि0प0/35415–811 /98–99 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

4. नगर शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 प्राथमिक शिक्षक संघ, रिसालदार पार्क शिक्षक भवन, लखनउ।

भवदीय

ह0अ0

डा0 (श्रीकृष्ण पाठक)

सचिव,

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,

इलाहाबाद।